उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

संख्याः यू0पी0ई0आर0सी0 / सचिव / विनियमावली / 10 – 787
17 अगस्त, 2010

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 66, 86(1)(ई) एवं धारा 181 तथा इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके, और पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है अर्थातः–

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</u>

1.1 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व के माध्यम से हरित ऊर्जा का विकास) विनियमावली, 2010 कही जाएगी।

1.2 यह विनियमावली सरकारी गजट में अपने प्रकाशन के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।

1.3 यह विनियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगी।

2. <u>परिभाषाएं तथा निर्वचन</u>

2.1 इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (संख्या 36 सन् 2003) से है;

(ख) ''कैप्टिव उपयोगकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या सदस्य से है जो अधिनियम की धारा 2(8) में कैप्टिव उत्पादन संयन्त्र में जनित विद्युत, मुख्यतः अपने उपयोग हेतु उत्पन्न की गई हो, का अन्तिम उपयोगकर्ता हो और शब्द 'कैप्टिव प्रयोग' को तदनुसार समझा जाएगा;

(ग) ''केन्द्रीय अभिकरण'' का तात्पर्य ऐसे अभिकरण जो राष्ट्रीय भार संप्रेषण केन्द्र का परिचालन कर रहा है अथवा ऐसे अन्य अभिकरण से है जिसे केन्द्रीय आयोग समय समय पर नामोदिष्ट करे;

(घ) ''केन्द्रीय आयोग'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में वर्णित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से है;

(ड़) ''प्रमाणक'' का तात्पर्य केन्द्रीय अभिकरण द्वारा केविनिआ नऊप्र विनियमावली में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन एवं स्थापित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार निर्गित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणक से है;

(च) ''केविनिआ नऊप्र विनियमावली'' का तात्पर्य केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणक की मान्यता एवं निर्गम किए जाने हेतु निबन्धन एवं शर्तों) से है;

(छ) ''आयोग'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में वर्णित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(ज) ''पात्र इकाई'' का तात्पर्य केविनिआ नऊप्र विनियमावली के अर्न्तगत प्रमाणक प्राप्त करने की पात्र इकाई से है;

(झ) ''आधार मूल्य'' का तात्पर्य केन्द्रीय आयोग द्वारा केविनिआ नऊप्र विनियमावली के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य, समय समय पर संशोधित, से है जिस पर एवं उससे अधिक पर विद्युत विनिमय केन्द्र में प्रमाणक का लेन देन किया जा सकता है;

(ञ) ''फारबियरेन्स मूल्य'' का तात्पर्य केन्द्रीय आयोग द्वारा केविनिआ नऊप्र विनियमावली के अनुसार निर्धारित उच्चतम मूल्य, समय समय पर संशोधित, से है जिसके अन्दर ही विद्युत विनिमय केन्द्र में प्रमाणक का लेन देन किया जा सकता है;

(ट) ''ननऊमं'' का तात्पर्य भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है;

(ठ) ''दायित्व इकाई'' का तात्पर्य राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा मुक्त उपगम उपभोक्ता से है जो इस विनियमावली के अधीन नवीकरणीय उर्जा क्रय के लिए यहां खण्ड 3.2 में वर्णित शर्तें पूर्ण करते हुए अधिदेशित हो;

(ड) ''मुक्त उपगम उपभोक्ता'' का तात्पर्य ऐसे उपभोक्ता से है जो अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मुक्त उपगम का प्रयोग करता हो;

(ढ़) ''विद्युत विनिमय केन्द्र'' का तात्पर्य किसी ऐसे विनिमय केन्द्र से है जो विद्युत हेतु विद्युत विनिमय केन्द्र का केन्द्रीय आयोग के निर्गत आदेशों के अन्तर्गत संचालन करता हो;

(ण) ''अधिमान्य प्रशुल्क'' का तात्पर्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन केन्द्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय की जाने वाली ऊर्जा हेतु समुचित आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क से है;

(त) ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत'' का तात्पर्य नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्रोत जैसे लघु जलीय, वायु, सौर, बायोमास, बायो फ्यूल सहउत्पादन (जिसमें गन्ने की खोई आधारित सहउत्पादन सम्मिलित है), नगरीय या नगरपालिका मलवा अथवा अन्य ऐसे स्रोत जिसे ननऊमं या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या अनुमोदित हो;

(थ) ''नवीकरणीय क्रय दायित्व'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत यहां खण्ड 4 में विनिर्दिष्ट आवश्यकता अनुसार दायित्व इकाई को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित विद्युत क्रय करने से है;

(द) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ध) ''राज्य अभिकरण'' का तात्पर्य राज्य के ऐसे अभिकरण से है जिसे आयोग द्वारा यहां दिये गये खण्ड 8.1 में नामोदिष्ट किया गया है;

(न) ''वर्ष'' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

2.2 इस नियमावली में प्रयोग किए गए शब्दो और पदो जिन्हें यहॉ परिभाषित नही किया गया किन्तु अधिनियम या केविनिआ नऊप्र विनियमावली या आयोग द्वारा निर्गत किसी अन्य विनियमावली में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हे क्रमशः अधिनियम या केविनिआ नऊप्र विनियमावली या आयोग द्वारा निर्गत उस अन्य विनियमावली में निर्दिष्ट है।

3. <u>प्रयोज्यता का विषय–क्षेत्र और विस्तार</u>

3.1 यह विनियमावली उत्पादन कम्पनियो पर, राज्य अभिकरण द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रत्यापन प्रदान करने के सन्दर्भ में, लागू होगी।

3.2 यह विनियमावली निम्नलिखित पर लागू होगी–

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारीयों;

(ख) कैप्टिव उपयोगकर्ता(यों) – जो अपनी ग्रिड कनेक्टेड कैप्टिव उत्पादन संयत्र जिसकी अधिष्ठापित क्षमता एक मैगावाट एवं उससे अधिक हो (या उस अन्य क्षमता जैसा समय समय पर आयोग के आदेश द्वारा नियत की जाए) से जनित विद्युत का उपभोग करता है; और

(ग) मुक्त उपगम उपभोक्ता(यों) – जो मुक्त उपगम के माध्यम से प्राप्त कनवेन्सनल फौसिल फ्यूल आधारित जनित विद्युत का उपभोग करता है जो नवीकरणीय क्रय दायित्व के आधीन अपने उपयोग की सीमा तक ऐसे उस स्रोत से प्राप्त विद्युत उपभोग पर है।

4. <u>नवीकरणीय क्रय दायित्व</u>

4.1 प्रत्येक दायित्व इकाई अपनी कुल विद्युत उपभोग (किलोवाटआवर में) का न्यूनतम प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से नवीकरणीय क्रय दायित्व के अर्न्तगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय करेगा।

न्यूनतम प्रतिशत जो ऊपर वर्णित है नीचे तालिका 'अ' में दिया गया है:

वर्ष	कुल ऊर्जा उपभोग (किलोवाटआवर में) की प्रतिशत न्यूनतम मात्रा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्रय होगा		
	गैर–सौर	सौर	कुल (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010–11	3.75	0.25	4
2011–12	4.50	0.5	5
2012–13	5.0	1	6

परन्तु यह कि यदि दायित्व इकाई यह सिद्ध कर दे कि सौर ऊर्जा से न्यूनतम मात्रा क्रय (उपरोक्त कॉलम (3) मे दर्शाई) बाजार में चाहे सौर पावर अथवा सौर प्रमाणक के रूप में किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध नही है और उक्त तथ्य से आयोग संतुष्ट है, तो उपरोक्त कालम (2) में

दर्शाई गयी गैर–सौर ऊर्जा के अतिरिक्त और ऊपर से उपरोक्त कॉलम (4) के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूर्ण करने के लिए क्रय करेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने का ऐसा दायित्व सम्बन्धित दायित्व इकाई की पूर्व में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्रय की गयी, यदि कोई हो, को शामिल करके होगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि दायित्व इकाई द्वारा स्वयं के उत्पादन केन्द्र से नवीकरणीय ऊर्जा स्वयं के उपयोग में प्राप्त हुई हो, यदि कोई हो, को अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व के पूर्ति हेतु लेखे में लिया जायेगा :

परन्तु यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारीयों द्वारा विद्यमान पावर क्रय अनुबन्धों के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्रय पावर विद्यमान अनुबन्धों की विधिमान्यता तक जारी रहेगी, चाहे ऐसे अनुबन्धों के अन्तर्गत कुल क्रय उपरोक्त में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हो।

4.2 आयोग, चाहे स्वयं के पहल पर या राज्य अभिकरण की संस्तुति पर या दायित्व इकाई के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, उपरोक्त खण्ड 4.1 में दिये प्रतिशत लक्ष्यों को किसी वर्ष के लिए जैसा उचित समझे पुनरीक्षित कर सकता है।

4.3 वर्ष 2012–13 के लिए विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व वर्ष 2012–13 के बाद भी लागू रहेगा जब तक कि आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षण प्रभावी न किया गया हो।

4.4 नवीकरणीय क्रय दायित्व जैसा विनियमावली में विनिर्दिष्ट किया गया है आयोग द्वारा निर्गत/पारित किसी अन्य विनियमावली या उसका आदेश में वर्णित नवीकरणीय क्रय दायित्व को अतिक्रमित करेगा।

स्पष्टीकरण – दायित्व इकाई द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन केन्द्र से अधिमान्य प्रशुल्क पर किए जा रहे क्रयों को, यदि कोई हो, नवीकरणीय क्रय दायित्व में मिलाकर जारी रहेगा।

5. केन्द्रीय आयोग की विनियमावली के अन्तर्गत प्रमाणक

5.1 इस विनियमावली में दी गई निबन्धन और शर्तो के अधीन केविनिआ नऊप्र विनियमावली के अन्तर्गत निर्गत किये गये प्रमाणको के इस विनियमावली में दायित्व इकाइयों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत क्रय करने हेतु अनिवार्य दायित्व को निर्वहन करने हेतु वैद्य प्रपत्र होंगे :

परन्तु यह कि दायित्व इकाई द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व को प्रमाणकों के क्रय द्वारा पूर्ति करने की दशा में, सौर ऊर्जा स्रोत आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय का दायित्व सौर प्रमाणकों के क्रय करने से पूर्ण हो सकती है, और सौर से भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय का दायित्व गैर–सौर प्रमाणकों के क्रय करने से पूर्ण हो सकती है।

5.2 आयोग द्वारा समय समय पर दिये गये ऐसे निर्देशो के अधीन, दायित्व इकाई केविनिआ नऊप्र विनियमावली के अनुरूप इस विनियमावली के अन्तर्गत नवीकरणीय क्रय दायित्व पूर्ति करने के सम्बन्ध में प्रमाणकों को क्रय करेगा।

5.3 दायित्व इकाईयों द्वारा केन्द्रीय आयोग की विनियमावली उपरोक्त खण्ड 5.1 में जैसा वर्णित है के अनुसार विद्युत विनिमय केन्द्र से क्रय किए गए प्रमाणकों को इस विनियमावली में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दायित्व इकाईयों द्वारा राज्य अभिकरण में जमा किए जाएंगे।

5.4 नवीकरणीय पावर या प्रमाणकों की उपलब्धता न होने के कारण नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन करने में प्रामाणिक कठिनाई होने की दशा में, दायित्व इकाई आयोग के पास अनुपालन आवश्यक्ता को अगले वर्ष में अग्रेनति हेतु पहुॅच सकता है।

6. दायित्व इकाइयॉ

6.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी

6.1.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक आधार पर 15 मार्च या उससे पूर्व, राज्य अभिकरण को, आयोग को सूचित करते हुए आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की जाने वाली

अनुमानित मात्रा को प्रस्तुत करेगा। ऐसे क्रय की जाने वाली अनुमानित मात्रा खण्ड 4 के अनुसार होगी। आयोग द्वारा अनुमोदित मात्रा से वास्तविक उपभोग भिन्न होने की दशा में, नवीकरणीय क्रय मात्रा की वचनबद्धता खण्ड 4 के अनुरूप वहॉ तक संशोधित समझी जाएगी।

6.1.2 नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में खण्ड 8.2 में इंगित प्रक्रिया के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी त्रैमासिक स्थिति राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।

6.1.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष के अंत में नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण भी आयोग को संसूचित करते हुए राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।

6.1.4 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पावर तथा प्रमाणको के उपलब्ध होते हुए भी यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी नवीकरणीय स्रोतों से न्यूनतम क्रय करने की वचनबद्धता की पूर्ति करने में असफल होता है तो वह खण्ड 7 के अनुसार एक पृथक निधि में धनराशि जमा करने का जिम्मेदार होगा।

6.2 कैप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपगम उपभोक्ता

6.2.1 प्रत्येक कैप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपगम उपभोक्ता अग्रिम में कुल अनुमानित विद्युत उपभोग और अपने नवीकरणीय दायित्व की पूर्ति के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की जाने वाली प्रस्तावित पावर की मात्रा का आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा। विवरण वार्षिक आधार पर 15 मार्च या उससे पूर्व आयोग को संसूचित करते हुए राज्य अभिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

6.2.2 नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में खण्ड 8.2 में इंगित प्रक्रिया के अनुसार कैप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपगम उपभोक्ता त्रैमासिक स्थिति राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।

6.2.3 कैप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपगम उपभोक्ता प्रत्येक वर्ष के अन्त में नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण शपथ पत्र के साथ आयोग को संसूचित करते हुए राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।

6.2.4 कैप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपगम उपभोक्ता खण्ड 4 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पावर क्रय करेगा। वे अपनी नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति प्रमाणकों के क्रय के माध्यम से भी

करेंगे। यदि कैप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपगम उपभोक्ता न्यूनतम क्रय मानदण्ड की पूर्ति नही कर पा रहा है तो वह खण्ड 7 के अनुसार एक पृथक निधि में धनराशि जमा करेगा।

7. आरपीओ नियामक निधि

यदि दायित्व इकाई किसी वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम क्रय की वचनबद्धता जैसा इस विनियमावली में प्रावधानित है की पूर्ति नही करता है, आयोग दायित्व इकाई को ऐसी धनराशि जो नवीकरणीय क्रय दायित्व के यूनिटो के कमी, आरपीओ नियामक प्रभारो और फारबियरेन्स मूल्य के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित, को एक पृथक निधि में जमा करने का निर्देश देगा। इस हेतु, ऐसी दायित्व इकाई द्वारा खण्ड 8.2 में इंगित प्रक्रिया के अनुसार एक निधि सृजित और उसका अनुरक्षण करेगा :

परन्तु यह कि आरपीओ नियामक प्रभार सौर या गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रयोज्य अधिमान्य प्रशुल्क या कोई अन्य दर जैसा आयोग द्वारा नियत की जाए, के समकक्ष होगा :

परन्तु अग्रतर यह कि इस प्रकार सृजित की गई आरपीओ नियामक निधि का उपयोग, जैसा आयोग द्वारा निदेशित किया गया है, प्रमाणकों को क्रय करने अथवा राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन केन्द्र से सम्बन्धित पारेषण एवं वितरण की अवधारणिक संरचना को विकसित करने अथवा किसी अन्य रीति जैसा आयोग द्वारा नियत की जाये, के लिए किया जाएगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि आयोग राज्य अभिकरण को निधि में उपलब्ध धनराशि से आवश्यक संख्या में प्रमाणकों को विद्युत विनिमय केन्द्र से क्रय करने के लिए अधिकार देगा :

परन्तु यह भी कि दायित्व इकाई इस विनियमावली के उल्लंघन का दोषी होगा यदि वह आयोग द्वारा निदेशित धनराशि निर्देश संसूचित होने के पन्द्रह दिनो के अन्दर जमा करने में असफल होता है :

परन्तु यह भी जहॉ कोई दायित्व इकाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पावर का आवश्यक प्रतिशत और/या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणकों को क्रय करने के दायित्व में विफल होता है, तो वह आयोग द्वारा निश्चित की गयी कार्यवाही के लिए दायी होगा।

8. राज्य अभिकरण तथा उसके कार्य

8.1 राज्य अभिकरण ऐसे अभिकरण जो प्रत्यापन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के पंजीकरण की संस्तुति करने का कार्य करेगा तथा ऐसे कार्यो जो नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन से प्रासंगिक हो, हाथ में लेगा जैसा समय समय पर आयोग द्वारा सौपा जाय :

परन्तु यह कि आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी अभिकरण, जैसा वह उचित समझे, को राज्य अभिकरण का कार्य करने के लिये नामोदिष्ट करेगा।

8.2 राज्य अभिकरण इस विनियमावली में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने कार्यो को निर्वाह करेगा :

परन्तु यह कि राज्य अभिकरण इस विनियमावली के जारी होने के साठ दिनो में प्रक्रिया का प्रालेख विकसित करके आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि इस विनियमावली का कोई उपबन्ध आयोग को स्वयं के प्रस्ताव पर प्रक्रिया को, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जैसा वह उचित समझे, राज्य अभिकरण एवं अन्य स्टाकहोलडरों के परामर्श से यदि राज्य अभिकरण प्रक्रिया का प्रालेख प्रस्तुत करने में असफल होता है या विशेष परिस्थितियो में जिसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा, जारी करने से अवरोधित नही करेगा।

8.3 आयोग राज्य अभिकरण को उसके कार्यों के निर्वाह के सम्बन्ध में निर्देश जारी करेगा और राज्य अभिकरण ऐसे निर्देशो का अनुपालन करेगा।

8.4 राज्य अभिकरण केविनिआ नऊप्र विनियमावली के उपबन्धो, जितना उस पर लागू है, के अनुरूप कार्य करेगा।

8.5 राज्य अभिकरण आयोग को दायित्व इकाइयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में त्रैमासिक स्थिति और वार्षिक विवरण खण्ड 8.2 में इंगित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करेगा और अपनी संसतुतियॉ, यदि कोई है, आयोग को देगा।

8.6 आयोग या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या राज्य अभिकरण की प्रार्थना पर एक आदेश द्वारा जैसा वह उचित समझे एक समन्वय समिति इस विनमयावली के भलीभांति कार्यान्वयन के लिए गठित करेगाः

परन्तु यह कि राज्य अभिकरण अपने किसी एक अधिकारी को ऐसी समिति का अध्यक्ष नामित करेगा।

9. प्रत्यापन के लिए पात्रता

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत जनन में लगी हुई उत्पादन कम्पनी प्रत्यापन के लिए आवेदन देने हेतु निम्नलिखित शर्तो के आधीन योग्य होगीः

(क) इसकी राज्य तन्त्र से सम्बद्धता हो;

(ख) इस पर कोई पावर क्रय अनुबन्ध ऐसे जनन की क्षमता का अधिमान्य टैरिफ पर जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए विद्युत विक्रय करने का न हो; और

(ग) इसके पास विद्युत मीटरिंग तथा समय–ब्लाकवाइस लेखा कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अवधारणिक संरचना हो।

10. प्रत्यापन की स्वीकृति

10.1 उत्पादन कम्पनी पात्रता मानदण्ड जैसा खण्ड 9 में प्रावधानित है की पूर्ति करता हो प्रत्यापन हेतु राज्य अभिकरण को आवेदन कर सकता है :

परन्तु यह कि प्रत्यापन के प्रार्थनापत्र में, प्रार्थी का भूगोलीय स्थान, मीटरिंग विवरण, अन्तःक्षेपण का बिन्दु और राज्य ग्रिड/तन्त्र में अन्तःक्षेपण के जाने वाली पावर की मात्रा जिसके लिए प्रत्यापन का आवेदन किया गया है, भी शामिल किया जाएगा।

10.2 राज्य अभिकरण प्रार्थनापत्र पाने की तिथि से तीस दिनो के भीतर सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श करके प्रार्थनापत्र की प्रक्रिया करके और प्रत्यापन की स्वीकृत या अन्यथा प्रार्थी को सूचित करेगा :

परन्तु यह कि पार्थी को उसके प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि उस दशा में यदि प्रार्थनापत्र निरस्त होता है, निरस्त होने के कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि राज्य अभिकरण को परामर्श या समन्वय में कोई कठिनाई आती है, तो वह उपयुक्त निर्देशों हेतु आयोग पहुॅच सकता है।

10.3 ऐसा व्यक्ति जो राज्य अभिकरण के खण्ड 10.2 के परन्तुक के अन्तर्गत लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है उस निर्णय की संसूचना प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनो में आयोग के पास निवारण हेतु पहुॅच सकता और आयोग, जैसा उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है।

10.4 प्रत्यापन प्रमाणक की तिथि से प्रत्यापन पॉच वर्षो के लिए वैद्य होगा जब तक कि उस वैद्यता अवधि की समाप्ति से पूर्व खण्ड 13 में निरसन न किया गया हो।

10.5 प्रत्यापन की स्वीकृति प्रार्थी को ऐसी पावर को राज्य ग्रिड/तन्त्र में अन्तःक्षेपण के लिए हकदार नही बनाता है जब तक कि प्रार्थी/नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी या क्रेता, जैसा विषय हो, समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमावली के अन्तर्गत मुक्त उपगम प्राप्त नहीं कर लेता है :

परन्तु यह कि यदि उत्पादन संयंत्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तन्त्र में एमबेडेड है तो उसे ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय हेतु मुक्त उपगम प्राप्त करने की आवश्यक्ता नही होगी।

11. आरईसी तन्त्र के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण

उत्पादन कम्पनी (अर्थात पात्र इकाई), प्रत्यापन प्राप्त करने के बाद, ऐसी उत्पादित विद्युत को विक्रय करेगी और तत्पश्चात् नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणक (जो नवीकरण ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय गुणों का प्रतिनिधित्व करती है) को प्राप्त तथा विक्रय निम्नलिखित रीति से करेगीः–

(क) यह जनित विद्युत का विक्रय या तो –

(i) राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों) को, उस मूल्य पर जो उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों) के पावर क्रय का समुच्य मूल्य से अधिक न हो;

(ii) राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी, मुक्त उपगम उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता को आपसी सहमति से निर्धारित दर पर;

(iii) किसी व्यक्ति को विद्युत विनिमय केन्द्र के द्वारा।

स्पष्टीकरण–इस विनियमावली के प्रयोजन के लिए, 'पावर क्रय का समुच्य मूल्य' का तात्पर्य भारित औसत समुच्य मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विगत वर्ष में दीर्घकालिक और अल्पकालिक विद्युत विक्रेताओं से विद्युत क्रय परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित को छोड़कर की हो जिसमें स्वयं के उत्पादन, यदि कोई हो, का लागत भी सम्मिलित है, जैसा विषय हो।

(ख) वह केन्द्रीय अभिकरण से एसएलडीसी की प्रमाणित अन्तःक्षेपण आख्या के आधार पर प्रमाणक प्राप्त करेगा :

(ग) वह केविनिआ नऊप्र विनियमावली के उपबन्धों के अधीन आधार मूल्य और फारबियरेन्स मूल्य के बैन्ड के भीतर प्रमाणकों को बेच सकता है :

परन्तु यह कि केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय अभिकरण तथा नियामको के फोरम से परामर्श करके, समय समय पर सौर तथा गैर–सौर प्रमाणकों के लिए प्रथकतः आधार मूल्य तथा सहनशील मूल्य निर्धारित कर सकता है :

परन्तु अग्रेतर यह कि विद्युत क्षेत्र के प्रगतिशील विकास के साथ विद्युत अवयव और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणकों हेतु मूल्य कार्यप्रणाली का आयोग द्वारा अन्तराल अवधियों पर जैसा वो उचित समझे समीक्षा की जा सकती है।

12. <u>प्रत्यापन के दौरान अनुश्रवण</u>

खण्ड 8.2 में इंगित प्रक्रिया के अधीन राज्य अभिकरण, सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समन्वय से, प्रत्यापित परियोजना का अनुश्रवण करेगा, परिचालन का लेखा रखेगा तथा उस प्रत्यापित परियोजोना के अनुश्रवण से प्रासांगिक सभी कार्यो का उत्तरदायित्व लेगाः

परन्तु यह कि उत्पादन कम्पनी प्रत्यापन प्राप्त करने के बाद राज्य अभिकरण को प्रत्यापन तथा उससे जुड़े अन्य मामलो से सम्बन्धित वार्षिक स्थिति प्रस्तुत करेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि विद्यमान प्रत्यापन की वैद्यता समाप्त होने से कम से कम नब्बे दिनों पूर्व राज्य अभिकरण को विद्यमान प्रत्यापन की वैद्यता के विस्तार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाऐगा।

13. <u>प्रत्यापन का निरसन</u>

13.1 यदि राज्य अभिकरण, जॉच बनाने के बाद या केन्द्रीय अभिकरण के रिपोर्ट के आधार पर, संतुष्ट है कि लोक हित में यह आवश्यक है, वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी का प्रत्यापन निरसन कर सकता है जहॉ ऐसी कम्पनी (क) अपनी प्रत्यापन के निबन्धनो और शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है जो ऐसे प्रत्यापन द्वारा स्पष्ट रूप से निरसन के लिए दायी घोषित हो; और (ख) राज्य अभिकरण की राय में जानबूझ कर और लम्बे समय तक ऐसा कुछ जो उसके द्वारा अपेक्षित करना या इस विनियमावली के अन्तर्गत करना आवश्यक हो लगातार व्यतिक्रम करता हो।

13.2 राज्य अभिकरण खण्ड 13.1 में प्रत्यापन निरसन करने पूर्व ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

13.3 खण्ड 13.1 तथा 13.2 के उपबन्धों के होते हुए भी, आयोग समय समय पर राज्य अभिकरण को ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी के विरूद्ध जॉच प्रारम्भ करने और/या निरसन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे सकता है यदि आयोग इसको उचित समझे।

13.4 ऐसा व्यक्ति जो राज्य अभिकरण के खण्ड 13.1 में लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है उस निर्णय की संसूचना प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों में आयोग के पास निवारण हेतु पहुँच सकता है और आयोग, जैसा उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है।

14. फीस तथा व्यय

14.1 राज्य अभिकरण के प्रस्ताव के आधार पर अथवा स्वयं के प्रस्ताव पर आयोग समय समय पर आदेश द्वारा फीस और व्यय का निर्धारण जिसका देय दायित्व इकाईयों और/या व्यक्तियों जो प्रत्यापन हेतु आवेदन कर रहे है, और प्रत्यापन की वैद्यता बनाए रखने या उससे जुड़े अन्य मामलो के लिए होगा।

14.2 फीस और व्यय जो देय होंगे में अप्रतिदेय प्रार्थना पत्र फीस, एक मुश्त प्रत्यापन फीस, वार्षिक फीस और अन्य व्यय जिससे कि इस विनियमावली के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन कर सके सम्मिलित है, जैसा आयोग उचित समझे।

14.3 दायित्व इकाइयो और नवीकरणीय उत्पादन कम्पनियों द्वारा भुगतान की गई फीस और व्यय राज्य अभिकरण द्वारा एकत्रित की जाएगी और जिसका उपयोग आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

15. सूचना तन्त्र

राज्य अभिकरण निम्नलिखित प्रलेखो/सूचनाओं को अपनी वैबसाइट पर एक अलग वैब पृष्ट में ''नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का प्रत्यापन'' के शीर्षक में दर्शायेगा :

(क) यह विनियमावली;

(ख) प्रक्रिया जैसी इस नियमावली में उल्लेखित है;

(ग) प्रत्यापन हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों की सूची आवश्यक विवरण के साथ जो राज्य अभिकरण द्वारा प्राप्त किए गए है।

(घ) स्वीकृत किए गए प्रत्यापन की सूची, दर्शाते हुए–

(i) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी का नाम/केन्द्र;

(ii) अन्तःक्षेपण का बिन्दु;

(iii) क्षमता (मेगावाट) जिसके लिए प्रत्यापन स्वीकृत किया गया है।

(ड) प्रत्यापन का अनुमोदन स्वीकृत न किए गए प्रार्थनापत्रो की सूची उसके कारणो सहित ।

(च) दायित्व इकाइयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय तथा नवीकरणीय विद्युत दायित्व के अनुपालन का संक्षिप्त विवरण।

16. <u>निवारण क्रियाविधि</u>

इस विनयमावली के अन्तर्गत हुए सभी विवादो का निर्णय आयोग द्वारा असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में याचिका देने पर किया जायेगा।

17. <u>संशोधन की सामान्य शक्ति</u>

आयोग, किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर जिसे वह उचित समझे, इस विनियमावली के उपबन्धों में किसी का संशोधन/परिवर्तन/निकाल/सुधार कर सकता है और उस हेतु आवश्यक संशोधन करेगा।

18. <u>शिथिल करने की शक्ति</u>

आयोग सामान्य या विशेष आदेश से, जिसके कारणो को अभिलिखित किया जाएगा, स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा किसी रूचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रार्थनापत्र देने पर इस विनियमावली के उपबन्धों में किसी को शिथिल कर सकता है।

19. <u>विविध</u>

19.1 इस विनियमावली में दी गई कोई भी बात आयोग को ऐसे आदेश देने की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने से अवरोधित नही करेगा जो न्याय करने के लिए या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग के निवारण के लिए आवश्यक हो।

19.2 इस विनियमावली में दी गई कोई बात आयोग को अधिनियम के उपबन्धो से सुसंगत प्रक्रिया, जो विनियमावली के किसी उपबन्ध से भिन्न हो अपनाने से निवारित नही करेगी यदि किसी मामले या

मामले के वर्ग को विशेष परिस्थितियों और लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों की द्रष्टि में ऐसे मामले या मामलो के वर्ग को निपटारे के लिए आवश्यक और समीचीन समझता है।

(इस विनियमावली का मूल संस्करण अंग्रेजी में है जिसका हिन्दी अनुवाद किया गया है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

आयोग के आदेश से

(ए0के0श्रीवास्तव)
सचिव
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,
लखनऊ।